न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बइजलास — चम्पालाल जीनगर, आर०ए०एस०

परिवाद संख्या — 39/2025

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		दिपेन्द्र सिंह पुत्र नैनू सिंह मैनेजर एवं मालिक निवासी विष्णु बाल स्कूल के पास, श्री राम कॉलोनी नागौर। मैसर्स:— आधार थोक व्यापार एवं वितरण लिमिटेड, चुंगी नाका, नागौर।

आदेश दिनांक :19.05.2026

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 04-12-2025 को मैसर्स आधार थोक व्यापार एवं वितरण लिमिटेड, चुंगी नाका, नागौर पर खाद्य पदार्थ Cow Ghee (Mugdh) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 3259 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1371/एक्ट/2024/13 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ Cow Ghee (Mugdh) Substandard as is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat (the fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of Cow Ghee). The Sample also Contravens Regulation No. 2.3.7(2) of food safety and Standards (Prohitbition and Restrictions on sales) Regulation 2011 due to presence of foreign fat, धारा 26 (2) (ii) (v) का उल्लंघन पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त दिपेन्द्र सिंह पुत्र नैनू सिंह मैनेजर एवं मालिक निवासी विष्णु बाल स्कूल के पास, श्री राम कॉलोनी, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्राथी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 25-08-2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैरहाजिर रहा है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1371/एक्ट/2024/13 दिनांक 09.01.2025 के अनुसार खाद्य पदार्थ Cow Ghee (Mugdh) Substandard as is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat (the fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of Cow Ghee). The Sample also Contravens Regulation No. 2.3.7(2) of food safety and Standards (Prohitbition and Restrictions on sales) Regulation 2011 due to presence of foreign fat, धारा 26 (2) (ii) (v) का उल्लंघन पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी दिपेन्द्र सिंह पुत्र नैनू सिंह मैनेजर एवं मालिक निवासी विष्णु बाल स्कूल के पास, श्री राम कॉलोनी, नागौर पर रूपये 5,00,000/— अक्षरे पांच लाख रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/26

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)